सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)



# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

## (पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 139 / 2022

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह<br>जाति राजपुत, निवासी जसाई<br>तहसील व जिला बाड़मेर | | 1. अर्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह<br>2. दलसिंह पुत्र केशरसिह<br>3. सवाईसिंह पुत्र केशरसिंह<br>4. नेपालसिंह पुत्र भैरूसिंह<br>5. मोतीसिंह पुत्र भैरूसिंह<br>6. बालीकंवर पत्नी भैरूसिंह<br>जाति राजपुत, निवासी महाबार<br>तहसील व जिला बाड़मेर<br>7. किशनसिंह पुत्र पदमसिंह<br>8. खुमाणसिंह पुत्र पदमसिंह<br>9. निम्बसिंह पुत्र पदमसिंह<br>10. भाखरसिंह पुत्र गैमरसिंह<br>11. वीरसिंह पुत्र गैमरसिंह<br>जाति राजपुत, निवासी जसाई<br>तहसील व जिला बाड़मेर<br>12. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव |

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक : 09.06.2025**

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 126, 128 रकबा क्रमशः 25.8108, 8.6764 हैक्टेयर आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादी द्वारा अन्य खातेदारान् के साथ क्रय की गई है। वादग्रस्त आराजी के बैचान दस्तावेज लिखवाते समय एवं वादी स्वयं के नाबालिग होने पर वादी के रिश्तेदारों द्वारा वादी का घरेलु नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह के स्थान पर सही नाम भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:52:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादी के नाम दुरस्ती के संबंध में तहसीलदार शिव से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट अनुसार विवादित आराजी के खसरा नम्बर 126, 128 में वादी का नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह दर्ज है जबकि वादी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड, विद्यालय अंकतालिका एवं ग्राम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)



...यत बालासर के प्रमाण पत्र अनुसार वादी का नाम भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह दर्ज है, जिसके दस्तावेज मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित किये गये है। वादी एवं स्वतंत्र गवाह तनसिंह द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह के स्थान पर सही नाम भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह दर्ज है, जबकि तहसीलदार तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र आदि में वादी का नाम भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह के स्थान पर भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह किये जाने का निवेदन किया गया है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह के स्थान पर भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लीकड़ी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 126, 128 रकबा क्रमशः 25.8108, 8.6764 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम धनसिंह पुत्र गैमरसिंह के स्थान पर भानुप्रतापसिंह पुत्र घेवरसिंह होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:52:46 IST
Reason: SelfAttested